केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

6वीं, 7वीं और 8वीं मंजिल, टॉवर–बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली–110029, फ़ोन: 23353503, फैक्स: 23753923, वेबसाइट: www.cercind.gov.in

याचिका सं.262/टीएल/2023 दिनांक: 16.08.2024

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

जेएसडब्ल्यू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड, चौथा तल, एनटीएच कॉम्प्लैक्स, ए–2, शहीद जीत सिंह मार्ग, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली – 110067 ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने की प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें तथा अन्य संबंधित मामले) विनियम, 2009 (इसके बाद "पारेषण अनुज्ञप्ति विनियम" के रूप में संदर्भित) के अधीन 400 केवी बस्पा – झाकरी पारेषण लाइन के वांग्तू – झाकरी अंश के लिए पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए आवेदन किया है।

2. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 21.5.2024 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।

3. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 262/टीएल/2023 में दिनांक 2.8.2024 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।

4. जेएसडब्ल्यू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट **https://www.jsw.in** पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।

5. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक 28.8.2024 तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. आयोग द्वारा दिनांक 29.8.2024 को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/–

(हरप्रीत सिंह प्रुथी)

सचिव